



hpscb
(Scheduled Bank)

Bank of the State - For the State



सार्वजनिक सूचना

KYC अपडेट (RE-KYC)

सभी खाताधारकों को सूचित किया जाता है कि RBI नियामक निर्देशों के अनुसार KYC अपडेट कराना अनिवार्य है। जिन ग्राहकों का KYC अपडेट लंबित है, वे शीघ्र नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करें। निर्धारित समय में KYC अपडेट न कराने पर खाते के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क करें।



Follow us on     @hpscblofficial

Visit us on- www.hpscb.com

Contact us on- 1800 180 8090